2016 का विधेयक संख्यांक 327

[दी पेमेंट्स ऑफ वेजेस(अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिंदी अनुवाद]

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2016

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 का और संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

1936 का अधिनियम संख्यांक 4 की धारा 6 का प्रतिस्थापन ।

1936 का 4

2. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

मजदूरी का चालू सिक्के या करेंसी नोटों में या चैक द्वारा या बैंक खाते में जमा करके संदाय किया जाना ।

"6. सभी मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी नोटों में या चैक द्वारा या कर्मचारी के बैंक खाते में मजदूरी जमा करके संदत्त की जाएगी :

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका नियोजक ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी का संदाय केवल चैक द्वारा करेगा या फिर उसके बैंक खाते में जमा करके, करेगा ।" ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (अधिनियम) कतिपय वर्गों के नियोजित व्यक्तियों की मजदूरी के संदाय को विनियमित करता है । अधिनियम को अनेक बार संशोधित किया गया और उसे वर्ष 2005 में अंतिम बार संशोधित किया गया था । अधिनियम की धारा 6 यह उपबंध करती है कि सभी मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी नोटों या दोनों में संदत्त की जाएगी । तथापि, उक्त धारा का परंतुक नियोजक को समर्थ बनाता है कि वह कर्मचारी को मजदूरी का संदाय उसका लिखित प्राधिकार अभिप्राप्त करने के पश्चात् या तो चैक द्वारा या उसके बैंक खाते में मजदूरी जमा करके, करे ।

2. समय व्यतीत होने के साथ, प्रौद्योगिकी बदल गई है और नियोजित व्यक्तियों का एक बड़ा भाग अपने बैंक खाते रखता है । चैक के माध्यम से मजदूरी का संदाय या उसे नियोजित व्यक्तियों के बैंक खाते में जमा करने से यह डिजिटल और अल्प नकदी अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करने के अलावा न्यूनतम मजदूरी के संदाय न करने या उसके कम मजदूरी संदाय के बारे में शिकायतों में कमी लाएगा । आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल और हरियाणा की राज्य सरकारों ने अधिनियम में राज्य संशोधन करके नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी का संदाय या तो चैक द्वारा या उसे उनके बैंक खाते में जमा करने के लिए उक्त अधिनियम में उपबंध पहले से ही किए हुए हैं ।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि अधिनियम की धारा 6 का प्रतिस्थापन किया जाए जिससे कि नियोजक को नियोजित व्यक्ति को मजदूरी या तो चैक के द्वारा या उसे उसके बैंक खाते में जमा करके संदाय करने के लिए समर्थ बनाया जा सके और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापनों को विनिर्दिष्ट करने के लिए समुचित सरकार को भी समर्थ बनाया जा सके जो प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को मजदूरी चैक द्वारा या उसे उसके बैंक खाते जमा करके ही संदाय करेगा ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
8 दिसंबर, 2016

बंडारु दत्तात्रेय

उपाबंध

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का अधिनियम संख्यांक 4) से उद्धरण

* * * * *

6. सभी मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी नोटों या दोनों में दी जाएगी :

मजदूरी का चालू सिक्के या करेंसी नोटों में दिया जाना ।

परन्तु नियोजक, नियोजित व्यक्ति से लिखित प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात्, उसे मजदूरी का संदाय या तो चैक द्वारा कर सकेगा या फिर उसके बैंक खाते में जमा करके कर सकेगा ।

* * * * *

GMGIPMRND—3844LS(CRC)—9-12-2016.